

भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
पश्चिमी खंड-7, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
दूरभाष : 011-20862356 एक्स. 212/235/236/281

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2022 हेतु शिक्षा पुरस्कार योजना तथा हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रुपए के क्रमशः 05 तथा 19 पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निदेशालय की वेबसाइट www.chd.education.gov.in देखें। आवेदन तथा घोषणा पत्र इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाने चाहिए।

Government of India
Central Hindi Directorate
Department of Higher Education, Ministry of Education
West Block-7, R. K. Puram, New Delhi-110 066
Tel : 011-20862356 Extn. 212/235/236/281

Central Hindi Directorate invites applications for 05 and 19 awards of one lakh rupees each respectively under **Shiksha Puraskar Scheme** and **Hinditar Bhashi Hindi Lekhak Puraskar Scheme** for the year 2022. For detailed information, terms and conditions, please visit Directorate's website www.chd.education.gov.in. The application and declaration form should be received within 60 days from the date of issue of this advertisement.

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा पुरस्कार योजना

हिंदी में शिक्षा विषयक मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1992 में शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की। इस समय इस योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रुपए के पाँच पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है।

विषय क्षेत्र :-

इस योजना के अंतर्गत ज्ञान के विविध क्षेत्रों यथा, शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति, समाज शास्त्र, दर्शन, राजनितिक चिंतन, संस्कृति, संचार माध्यम, नीति शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण एवं शिक्षा संबंधी अन्य विषयों पर हिंदी तथा हिंदीतर भाषी लेखकों की मूल रूप से हिंदी में लिखित उत्कृष्ट मौलिक तथा चिंतनपरक प्रकाशित पुस्तकें मान्य होंगी। सृजनात्मक साहित्य, पाठ्य पुस्तकें, शोध प्रबंध तथा अनूदित ग्रंथ इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होंगे।

पात्रता :-

भारत के किसी भी क्षेत्र के लेखक या उनकी ओर से प्रकाशक इस योजना के अंतर्गत अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अथवा विदेशी हिंदी विद्वान भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/कार्यालयों/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग की अनुमति लेकर इस योजना में भाग ले सकते हैं।

नियम :-

- (1) योजना के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी। उदाहरण के लिए वर्ष 2005 के पुरस्कारों के लिए पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 2000,2001,2002,2003 तथा 2004 में प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
- (2) प्रकाशित पुस्तकें कम से कम 200 पृष्ठों की होनी अनिवार्य हैं।
- (3) इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कृत लेखक पुनः विचारणीय नहीं होंगे।
- (4) इस योजना में पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (5) योजना के अंतर्गत भारत सरकार अथवा इसके द्वारा प्रोषित उपकरणों/संस्थानों अथवा राज्य सरकारों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किसी कृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (6) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापस नहीं की जाएगी।
- (7) विवरण - पत्र के साथ पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजना अनिवार्य हैं।
- (8) पुस्तक की पाँच प्रतियाँ में से तीन प्रतियों पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग को हटा दिया जाए तथा निदेशालय को भेजने के पूर्व उन प्रतियों की पुनः जिल्डबंदी करा दी जाए। शेष दो प्रतियाँ सामान्य रूपाकार में ही भेजी जाए। किसी भी प्रकार के अधूरे विवरण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में लेखकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने की प्रविधि :-

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियाँ केंद्रीय संचार ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्यूनिकेशन) - प्रिंट मीडिया हिंदी - अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों एवं निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन तथा अन्य विविध स्रोतों द्वारा आमंत्रित की जाएंगी। साहित्य अकादमी तथा भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत लेखकों तथा इन संस्थाओं से भी प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी। विभिन्न राज्यों में स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा प्रख्यात शिक्षण संस्थाओं (आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि) तथा अग्रणी प्रकाशकों को अलग से पत्र भेजकर पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत सूचना दी जाएगी ताकि योजना के अंतर्गत अधिकाधिक एवं श्रेष्ठ पुस्तकें प्राप्त हो सकें।

चयन प्रक्रिया :-

योजना के अंतर्गत पुरस्कारों पर निर्णय के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए निदेशालय व्यापक संख्या में प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञों की सूची तैयार कराएगा जो चयन समिति के गठन में सहायक होगी। समिति में सदस्यों का चयन इस सूची से इतर भी कियों जी सकता है।

प्रथम चरण :-

इस चरण में पुरस्कार के लिए पुस्तकों का प्रथम दृष्टया आकलन किया जाएगा। आकलन का दायित्व दस सदस्यीय समिति का होगा। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। समिति यदि अनुभव करती है कि पुरस्कारों के लिए श्रेष्ठ पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं तो वह अपनी ओर से अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। ऐसी अनुशंसित पुस्तकें निदेशालय द्वारा क्रय करके अगले चरण की प्रक्रिया में शामिल की जाएंगी। इस तरह प्रथम चरण में पुरस्कारों की आधार सूची तैयार हो जाएगी। जिन लेखकों की पुस्तकें लेखकों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त होंगी उनके विवरण पत्र तथा घोषणा पत्र बाद में निदेशालय पत्राचार से प्राप्त करेगा।

द्वितीय चरण :-

द्वितीय चरण में प्रथम चरण की समिति द्वारा चयनित समस्त पुस्तकों को विषयवार वर्गीकृत करके संबंधित विषयों के तीन - तीन विद्वानों के पास लिखित मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। पुस्तकों के साथ मूल्यांकन पत्रक भेजा जाएगा। ये विशेषज्ञ पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसकी गुणवत्ता के आधार पर 100 अंकों में से अंक प्रदान करेंगे। तीनों विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त अंकों के योगफल से पुस्तकों की गुणवत्ता का क्रम मान्य होगा।

तृतीय चरण :-

पुरस्कारों का अंतिम निर्णय तीसरे चरण के लिए गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति द्वितीय चरण के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त अंकों के आधार पर पाँच पुरस्कारों के लिए अंतिम रूप से पुस्तकों का चयन करेगी।

विशेष :- उक्त तीनों समितियों में सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

परिणामों की घोषणा :-

योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कृतियों तथा उनके लेखकों के नामों की अधिसूचना हिंदी/अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के अन्यणी समाचार -पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। पुरस्कृत लेखकों को व्यक्तिगत रूप से अलग से भी सूचना दी जाएगी।


(4)

अंतिम तिथि :-

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियाँ पुस्तक की पाँच प्रतियों सहित निर्धारित आवेदन पत्र तथा घोषणा पत्र के साथ दिनांक ३०-५-२३ तक निदेशक, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय के पास भेजी जा सकती हैं।

टिप्पणी :- आवेदन पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट - I तथा II पर उपलब्ध है।

धारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(शिक्षा मंत्रालय)



शिक्षा पुरस्कार योजना

विवरण - पत्र

नोट :- हिंदी/अंग्रेजी में अंक जाए

1. पुस्तक का नाम _____
2. (क) क्या पहले कभी इस पुस्तक पर कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो कब और किसके द्वारा?
(ख) पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष तथा प्रकाशक _____
3. लेखक का पूरा नाम (हिंदी में) _____
4. लेखक का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) _____
5. पिता/पति का नाम _____
6. जन्म तिथि _____
7. पत्र व्यवहार का पता ग्राम/जनपद/प्रदेश सहित
 - (i) ई-मेल पता _____
 - (ii) फोन नं. _____
 - (iii) मोबाइल _____
8. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं?
(प्रमाण - पत्र संलग्न करें) _____
9. लेखक की मातृ भाषा _____
10. लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय
(पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम चित्र संलग्न करें) _____

हस्ताक्षर _____

शिक्षा पुरस्कार

घोषणा पत्र

मैं

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी

एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ

कि :-

(क) मैं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी हूँ।

(ख) मेरा जन्म राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हुआ है।

(ग) मेरी मातृ भाषा है।

(घ) उक्त योजना में प्रस्तुत मेरी कृति इससे पूर्व विसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा उसके द्वारा पोषित उपक्रमों/संस्थानों अथवा किसी व्यावसायिक संस्था/संगठन द्वारा पुरस्कृत नहीं हुई हैं।

(इ.) शिक्षा पुरस्कार योजना के अंतर्गत मुझे इससे पूर्व मेरी पुस्तक पर सन् में पुरस्कृत किया जा चुका है।

(च) मैं केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग का कर्मचारी हूँ और अपने विभाग के संबंधित अधिकारी से इस योजना में भाग लेने की लिखित अनुमति मुझे प्राप्त है।

(सत्यापित प्रति संलग्न) ।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है।

हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक: